न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 336/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. दुर्गसिंह पुत्र गायडसिंह राजपूत 2. वेनाराम पुत्र मोडाराम राजपूत 3. नेताराम पुत्र अखाराम मेघवाल 4. चुतरसिंह पुत्र गायडसिंह राजपूत 5. दलाराम पुत्र बीजाराम मेघवाल निवासीगण– तेजसिंह नगर, तहसील सेखाला जोधपुर		1. तहसीलदार,सेखाला 2. प्रतापसिंह पुत्र मंगलसिंह 3. भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह 4. मंगलसिंह पुत्र पन्नेसिंह निवासी– सेखाला, तहसील सेखाला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या ...../2021 अनवान तहसीलदार, बालेसर बनाम ग्राम भालू अनोपगढ में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाबसिंह चम्पावत, श्री पीराणेखान, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

3– श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 31 अगस्त,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा ग्राम तेजसिंह नगर तहसील सेखाला के ख0सं0 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 में चल रहे आवागमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र मंगलसिंह, भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मंगलसिंह पुत्र पन्नेसिंह निवासी– सेखाला, तहसील सेखाला की ओर से श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में ख0सं0 299, 300, 301 के खातेदार/काश्तकार होने एवं प्रभावित पक्षकार पर उन्हें भी रेस्पोडेन्टस पक्षकार संस्थित किये जाने बाबत किये गये निवेदन पर दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 संस्थित किया गया।

अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत अनुमति प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उल्लेखित खसरा संख्या की भूमि में से वक्त सेटलमेन्ट से ही कोई रास्ता मौके पर नहीं जाता था और न ही रास्ता उपलब्ध था। इस कारण से सम्वत 2011 में कोई रास्ता गैर मुमकीन दर्ज नहीं हुआ। इस बाबत किसी पक्षकार ने रास्ता सम्बन्धी सम्बन्धी उजरदारी व प्रकरण राजस्व/सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया न ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के तहत किसी खातेदार ने रास्ता प्राप्त करने बाबत मांग की गई है। राज्य सरकार ने रास्ता सम्बन्धी कार्यवाही हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते की मांग कर सकता है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी की भूमि को गैरमुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्शाने बाबत आदेश दिये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निवारण अभियान, 2010 के तहत जारी परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के तहत भू राजस्व अधिनियम/ राजस्व भू अभिलेख नियम की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लेखित खसरान भूमि में रास्ता सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन द्वारा अपीलान्ट को नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के वहाँ दर्ज ही नहीं हुआ तथा प्रभावित खसरान के खातेदारों को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया न ही नोटिस दिया गया व न ही सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित आदेश पारित किया है जो एब इन इशु वाईड आदेश होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार के समक्ष दिनांक 15.07.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर कदीमी रास्ता मौके पर चलना होना बताया है परन्तु उक्त मौका

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट पर किसी भी मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है तथा उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट पर कई के फर्जी हस्ताक्षर किये हुए है और मौका रिपोर्ट भी कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के तहत अगर मौके पर जबरदस्ती रास्ता निकाल दिया जाता है तो अपीलान्टस की खडी फसलों में भारी नुकसान कारित होगा जबकि मौके पर रास्ता कायम ही नहीं है और आदेश के जरिये अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को अपीलान्ट को बिना सुने हुए अपीलान्ट की भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया है। धारा 131 के तहत नक्शे में शुद्धिकरण का तथा धारा 136 के तहत रेकर्ड के तहत राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जा सकती है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन धाराओं के तहत अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्टस के खेत खसरान भूमि के बीचों बीच रास्ता दर्शाते हुए रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया है जो निरस्त योग्य है। अगर अपीलान्टस के खेत खसरान भूमि में से बीचो– बीच निकाले गये रास्ते के स्थान पर यदि खेतों की आई हुई माठ या कणे–कणे रास्ता निकाला जाता है तो उक्तानुसार रास्ता सम्बन्धी पारित आदेश को संशोधित कर रास्ता निकाले जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा पारित आदेश दिनांक 11.12.2021 को निरस्त/संशोधित किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रस्ताव पेश कर ग्राम तेजसिंह नगर के 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 में चल रहे कदीमी रास्ते को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट/प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते की भूमि/भाग को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की ओर उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हमारी खातेदारी के खसरान संख्या 299, 300, 301 एवं अन्य खेत खसरान की भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से कई वर्षो से चल रहे कदीमी रास्ते

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, वह रास्ते से वंचित लोगों को रास्ता उपलब्ध कराने की मंशा से तथा व्यापक जनहित को देखते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को बहाल रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 11.12.2021 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार, बालेसर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम तेजसिंह नगर के 273, 278, 281, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301 में बारहमासी/कदीमी रास्ता चलायमान होना दर्शाया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है परन्तु आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलान्टस को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये गये है। प्रस्तावित मौका रिपोर्ट एवं मौका नक्शे का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि उक्त खसरान भूमि में खसरा संख्या 297, 296, 295 एवं 278 की भूमि के बीचों–बीच में से चलायमान कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने सम्बन्धी आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्स की भूमि दो भागों में विभक्त हो जायेगी एवं रास्ता निकाल दिये जाने से अपीलान्टस को खेतीबाडी सम्बन्धी कार्य करने में भविष्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। अपीलाधीन आदेश के जरिये राज्य सरकार की मंशा एवं कदीमी रास्ते को जनहित में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की गई है, परन्तु किसी खातेदार/काश्तकार को कोई नुकसान भी नहीं हो। इस आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2021 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि "खसरा संख्या 297, 296, 295, 278 में से बीचों–बीच चल रहे कदीमी रास्ते की भूमि में से रास्ता निकाले जाने/राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने बाबत दिये गये आदेश के स्थान पर खसरान संख्या 299, 298, 294 की दिशा से लगते खसरा संख्या 297, 296, 295 भूमि की माठ/कणे–कणे के पास उनकी सीमा भूमि में से तथा अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 278 की सीमा की पूर्वी–दक्षिणी दिशा की ओर स्थित

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

माठ–कणे के पास–पास कदीमी/चलायमान रास्ता निकाले जाने तथा उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने बाबत कार्यवाही किये जाने आदेश प्रदान दिये जाते है।" शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय आज दिनांक 31 अगस्त, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर